न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 24 / 2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 124

1. उदाराम पुत्र मूलाराम जाति नायक निवासी 2 बीडब्ल्यूएम ए तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)

—अपीलार्थी

बनाम

1. भंवरी देवी पुत्री लालूराम जाति भील निवासी चक 24ए तहसील व जिला अनूपगढ़ राज.
2. परमेश्वरी पुत्री लालूराम जाति भील निवासी वार्ड नं. 6 प्रेमनगर अनूपगढ़ तहसील व जिला अनूपगढ़ राज.
3. अक्ली देवी पुत्री लालूराम जाति भील निवासी चक अबोहरिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.
4. विमला देवी पुत्री लालूराम जाति भील निवासी चक अबोहरिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.
5. किरण पुत्री लालूराम जाति भील निवासी 16 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.
6. रेशमा पुत्री लालूराम जाति भील निवासी मोटाई तहसील व जिला फलोदी रा.
7. रेशम देवी पुत्री लालूराम जाति भील निवासी गांव मोरिया तहसील आऊ जिला जोधपुर राज.
8. रोशनी पुत्री लालूराम जाति भील निवासी गांव मोरिया तहसील आऊ जिला जोधपुर राज.
9. ओमप्रकाश पुत्र लालूराम जाति भील निवासी चक 1 बीडब्ल्यूएम ए तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.
10. राधेश्याम पुत्र लालूराम जाति भील निवासी गांव मोरिया तहसील आऊ हाल चक 2 बीडब्ल्यूएम ए तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.
11. सुनीता देवी पुत्री लालूराम जाति भील निवासी गांव मोरिया तहसील आऊ जिला जोधपुर राज.
12. तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री चरणजीत सिंह चन्दी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राजेश डाल, प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 11
3. राजपैरोकार एवं उपतहसीलदार समेजा कोठी, प्रत्यर्थी सं. 12

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 21.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

अपीलार्थी के द्वारा यह अपील तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 09.09.2022 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 2 बीडब्ल्यूएम ए तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 294 / 345 मु.नं. 15 की कुल 25 बीघा 6.325है. में से बकतु देवी पुत्री मूलाराम के 1 / 4 हिस्सा भूमि का नामान्तरकरण विरासत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 से 11 के नाम से दर्ज किया गया हैं के विरूद्ध मय प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी हैं।

2. अपील मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया और अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधित

जिला कलक्टर अनूपगढ़

अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गयी।

3. अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी की बहस बक्तु देवी के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज थी। बक्तु देवी का देहान्त दिनांक 20.03.2022 को हो चुका है। बक्तु देवी की जाति नायक थी जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। रेस्पो. सं. 1 से 11 ने रेस्पों. सं. 12 के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बक्तु देवी के हिस्सा की 1/4 हिस्सा भूमि का विरास्तन इंतकाल सं. 246 दिनांक 09.09.2022 अपने नाम से दर्ज करवा लिया और रेस्पो. सं. 1 से 10 ने अपने हिस्से को रेस्पों. सं. 11 सुनीता के पक्ष में दस्तरबरदारी द्वारा त्याग कर दिया जिसका नामान्तरकरण सं. 255 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। जबकि रेस्पोंडेण्टस भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस अपीलाण्ट को नहीं दिया गया ना ही सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया इसके अतिरिक्त भूमि का भौतिक सत्यापन कर कब्जा के संबंध में भी जांच नहीं की गयी। रेस्पों. स. 12 द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है। रेस्पों. सं. 1 से 11 बक्तु देवी के वारिस नहीं है ना ही ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। राजस्थान सरकार के द्वारा दिनांक 25.05.2017 पत्र जारी कर वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। रेस्पों. सं. 1 से 11 की जाति भील है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। रेस्पो. सं. 1 से 11 ने बक्तु देवी की भूमि हड़पने के उद्देश्य से जाति भील के स्थान पर नायक दर्ज करवा समस्त कार्यवाही की है। रेस्पो. सं. 10 के नाम से गांव मोरिया तहसील आऊ में खसरा सं. 305/320 में 1/5 हिस्सा दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में जाति भील दर्ज है। रेस्पो. सं. 1 से 11 के पिता लालूराम नरेगा में कार्य करते थे जिसके जॉब कार्ड मे भी लालूराम की जाति भील दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच किए बिना आलौच्य आदेश पारित किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को इस आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 16.05.2024 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो भूमि रेस्पो. सं. 11 के नाम से दर्ज होने का ज्ञान हुआ। प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि.मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण कर आलौच्य आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 246 स्वीकृत दिनांक 09.09.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी की अपील सारहीन है। अपीलाधीन भूमि प्रत्यर्थीगण की माता के नाम से थी जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती ना ही अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपील मियाद बाहर है। राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थीगण की जाति नायक दर्ज है। अपीलार्थी का कथन है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करवाई है तो अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र थे। अपील सारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं जो कि प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित मूल नामान्तरकरण सं. 246 चक 2 बीडब्ल्यूएम ए के अनुसार अपीलाधीन भूमि बक्तू देवी पुत्री मूलाराम के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। मृत्यु प्रमाण पत्र बक्तु देवी के अनुसार बक्तु देवी की मृत्यु दिनांक 20.03.22 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम मूलाराम तथा पति का नाम लालू राम अंकित है। प्रत्यर्थीगण के पिता का नाम अपीलार्थी द्वारा अपने अपील पत्र में लालूराम अंकित किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत 22 पीटीडी बी के द्वारा जारी जायज वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 29.04.2022 प्रार्थी के शपथ पत्र और वार्ड पंच की रिपोर्ट के आधार पर जारी

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

किया गया है जिसने मृतका बक्तु देवी के प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 11 को जायज व कानूनी वारिस होना अंकित किया गया है। प्रार्थी राधेश्याम के द्वारा आवेदन तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष किये जाने पर तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा दिनांक 09.09.2022 को अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।

6. अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 11 बक्तु देवी के वारिस नहीं है और इनकी जाति भी भील है। यदि अपीलार्थी के कथनों पर विश्वास कर भी लिया जावे तो भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू महिला की निर्वसीयती मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में भाई द्वितीय श्रेणी का वारिस है लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी बहन की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार के संबंध में सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही की हो और सक्षम सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो अथवा सक्षम राजस्व न्यायालय में द्वितीय श्रेणी का वारिस होने के नाते अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद संस्थित किया हो।

7. अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थी अपीलाधीन भूमि से प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार व उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही अपीलार्थी के द्वारा अपीलाधीन भूमि पर उनके हितबद्ध होने से संबंधित सक्षम सिविल न्यायालय से जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त आलौच्य आदेश दिनांक 09.09.2022 का है तथा अपील दिनांक 30.05.2024 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया है अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उनको अपील प्रस्तुत करने की तिथि से 15 रोज पूर्व ही ज्ञान हुआ है किंतु उनके द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड की जांच ही नहीं की गयी हो अतः अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा योग्य नहीं है। अपील सारहीन होने के कारण मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के अस्वीकार की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)